

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4494
बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दोहरी गर्मी और अत्यधिक वर्षा का सामना कर रहे शहर

†4494. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को “तूफान का सामना: गर्म होती जलवायु में मानसून का प्रबंधन” शीर्षक वाली हालिया रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के शहरों में वर्ष 2030 तक लू के दिनों में दोगुनी वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि होगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास विगत दो दशकों के दौरान अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं पर शहर-स्तरीय और जिला-स्तरीय विस्तृत आँकड़े हैं और यदि हाँ, तो वर्ष 2000 से तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या जलवायु संबंधी खतरों के लिए वास्तविक समय जोखिम आकलन और पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रदान करने हेतु जलवायु जोखिम वेधशाला (सीआरओ) या इसी तरह की कोई संस्था स्थापित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता या जोखिम वित्तपोषण साधन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ताकि मौसम की मिश्रित घटनाओं जैसे कि समवर्ती हीटवेव और भारी वर्षा के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम किया जा सके?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) जी हाँ। सरकार IPE ग्लोबल और Esri इंडिया की हाल की रिपोर्ट से अवगत है, जिसमें पाया गया है कि 2030 तक भारत के शहरों में लू (हीटवेव) के दिनों में दोगुनी वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ेंगी। इसमें खुलासा किया गया है कि 2030 तक, जलवायु परिवर्तन से पूरे भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की तीव्रता में 43% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे देश अधिक गर्म और आर्द्र हो जाएगा।
- (ख) जी हाँ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), स्टेशन और शहर-आधारित मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके, शहरी क्षेत्रों सहित भारत के पूर्ण विराम स्थानों पर हीटवेव और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम की घटनाओं की निरंतर निगरानी करता है। साथ ही, आईएमडी द्वारा प्रदान की गई ग्रीडेड वर्षा (25 किमी रिज़ॉल्यूशन) और तापमान डेटा (50 किमी रिज़ॉल्यूशन) का भी इन चरम घटनाओं पर नज़र रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न सब-डिवीजनों में लू (हीटवेव) के दिनों की वर्षवार संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।
- (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IIITM) के सहयोग से जलवायु जोखिमों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों हेतु जोखिम आकलन और प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान प्रदान करता है।

- (घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को पूरे देश में समान रूप से क्रियान्वित करता है; इसलिए, धन का आवंटन राज्यवार नहीं है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से राज्य सरकारों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के माध्यम से सहायता के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों की ओर से वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर विचार करती है।

राज्य सरकार, कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों को पूरा करने के अध्यक्षीन, SDRF के वार्षिक निधि आवंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

अनुलग्नक -1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
असम व मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
एनएमएमटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एसएचडब्ल्यूबीऔर सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	1	15	11	1
गांगेय पश्चिम बंगाल	3	14	0	3	4	0	3	8	27	31	4
ओडिशा	14	20	12	4	2	0	3	11	24	37	7
झारखंड	5	11	2	0	6	0	0	27	16	23	4
बिहार	4	6	0	3	12	0	0	13	29	30	4
पूर्वी उत्तर प्रदेश	12	2	9	4	10	2	0	33	11	33	8
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	10	3	11	6	4	2	2	28	5	32	5
उत्तराखंड	2	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0
हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली	6	3	11	4	11	0	2	37	5	30	11
पंजाब	2	2	7	0	0	0	0	22	3	27	7
हिमाचल प्रदेश	0	3	4	4	0	0	2	38	0	18	10
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख	0	0	0	0	2	0	0	19	0	11	13
पश्चिमी राजस्थान	24	28	28	29	28	5	6	58	3	29	33
पूर्वी राजस्थान	10	11	14	5	25	0	4	28	0	23	21
पश्चिमी मध्य प्रदेश	19	18	19	8	19	4	2	42	4	24	7
पूर्वी मध्य प्रदेश	15	20	19	9	30	0	0	34	13	26	10
गुजरात क्षेत्र	6	4	8	2	3	0	0	13	1	14	7
सौराष्ट्र और कच्छ	12	3	8	2	9	6	12	25	4	16	15
कोकण और गोवा	1	0	0	2	0	0	4	2	6	4	1
मध्य महाराष्ट्र	1	3	1	0	11	2	0	2	1	8	1
मराठवाड़ा	1	2	0	0	10	3	0	0	0	3	3
विदर्भ	15	12	22	14	54	0	2	18	11	11	8
छत्तीसगढ़	9	2	1	3	7	2	0	3	12	13	1
तटीय आंध्र प्रदेश और यनम	8	6	6	2	11	0	0	0	22	11	0
तेलंगाना	8	6	3	0	14	2	0	0	14	12	1
रायलसीमा	0	1	0	0	0	0	0	0	1	16	0
तमिलनाडू, पुदुचेरी और कराईकल	0	0	7	0	4	0	2	0	1	13	0
तटीय कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
N. I. कर्नाटक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
S. I. कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
केरल और माहे	0	9	0	0	0	0	0	0	0	6	0
